न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी, सिमडेगा।

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

पत्रक ता0...से ....तक सरकार

ा...

बनाम

स का प्रकार:– अधिहरण वाद संख्या – प्रमोद कु0 नाग वैगरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आदेश

31.12.2024

इस वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा के पत्रांक 454/अप0शा0, दिनांक 23.03.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ की गई है । पुलिस अधीक्षक ने कोलेबिरा थाना काण्ड संख्या 75/2022 में दिनांक 16.12.2022 धारा– 379 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 तथा 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 7/9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017 के अन्तर्गत जप्त करीब 10000 सी0एफ0टी0 पत्थर को धारा –4/21 खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, धारा– 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं धारा– 7/9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017 के अधीन कार्रवाई कर राजसात करने का प्रस्ताव भेजा है।

उक्त प्रस्ताव के आधार पर राजसात की कार्रवाई दिनांक 25.04.23 को प्रारम्भ की गई। प्रस्ताव में उल्लेखित प्राथमिकी अभियुक्त 1. प्रमोद कुमार नाग, पे0–धासीराम नाग, एवं 2. मंजूर अली उर्फ बब्लू खान, पिता – अफगान मियां, दोनो साकिन एवं थाना – कोलेबिरा, जिला – सिमडेगा को न्यायालय में उपस्थित होने एवं कारण– पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक. 16.05.2023 को रखा गया। निर्धारित तिथि को उत्तरवादी अनुपस्थित रहे । पुनः नोटिस निर्गत किया गया जिसके अनुपालन में उत्तरवादीगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06.06.2023 को उपस्थित हुए एवं कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु समय की मांग की। इस बीच जिला खनन पदाधिकारी,सिमडेगा से प्रतिवेदन की मांग की गई । उत्तरवादीगण जबाब दाखिल करने हेतु लगातार समय की मांग करते रहे। दिनांक 12.12.2023 को उत्तरवादीगण अपना जबाब दाखिल किया एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखा गया। जिला खनन पदाधिकारी, सिमडेगा से जांच प्रतिवेदन उनके पत्रांक 333/एम0

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 13.06.2023 से प्राप्त हुआ है ।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब एवं तत्क्रम में की गई बहस में मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्यों को प्रस्तुत किया है–

1. इस अधिहरण वाद की कार्रवाई कोलेबिरा थाना कांड सं0– 75/2022 दिनांक 16.12.2022 के आधार पर प्रारंभ की गई है। अंचल अधिकारी,कोलेबिरा ने निरीक्षण के दौरान राजस्व ग्राम गोबरधंसा में अवैध पत्थर भंडारण के आरोप में उत्तरवादी के विरूद्ध काण्ड में जप्त करीब 10000 सी0एफ0टी0 पत्थर को धारा –4/21 खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, धारा– 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं धारा– 7/9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017 के अधीन प्राथमिकी दर्ज कराया है । प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जप्त पत्थर को कोलेबिरा थाना में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है ।

2. पत्थर को जप्त करने एवं उत्तरवादीगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु धारा–22 खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, प्रावधान के अनुसार अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी घोषित नहीं है, जबकि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तथा कानून के अनुसार घोषित सक्षम पदाधिकारी ही लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए सक्षम हैं।

3. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद माननीय सत्र न्यायाधीश ,सिमडेगा के एवं जिला खनन पदाधिकारी, सिमडेगा के आदेशानुसार उत्तरवादी प्रमोद कुमार नाग द्वारा 1,09,200/– रू0 दिनांक 02.03.2023 को चलान नं0–GRN 2315570261 से खनन विभाग के सरकारी कोष में जमा किया गया हैं। इसी प्रकार उत्तरवादी मंजूर अली उर्फ बब्लू खान ,कोलेबिरा द्वारा 1,09,200/– रू0 दिनांक 02.03.2023 चलान नं0– GRN 2315570756 से खनन विभाग के सरकारी कोष में जमा किया गया हैं। इस प्रकार दोनों उत्तरवादीगण द्वारा कुल 2,18,400/= रूपये, जो कि जप्त करीब 10000 सी0एफ0टी0 पत्थर के मूल्य की दोगुणी राशि है, क्षतिपूर्ति के रूप में जमा किया गया है।

4. जिला खनन पदाधिकारी, सिमडेगा के आदेशानुसार उत्तरवादी प्रमोद कुमार नाग द्वारा 3100 घनफुट पत्थर की खनिज मूल्य की दुगुनी राशि 67,704/– रूपये दिनांक 23.12.22 को चालान नं0– GRN 221496386 से एवं उत्तरवादी मंजूर अली उर्फ बब्लू खान ,कोलेबिरा द्वारा 3000 घनफुट पत्थर का खनिज मूल्य की दुगुनी राशि 65,520/– रूपये दिनांक 25.12.22 चलान नं0– GRN 2214954291 से खनन विभाग के सरकारी कोष में जमा किया गया है।

5. विवादित जप्त पत्थर के संदर्भ में मुख्य तथ्य यह है कि

Scanned with OKEN Scanner

उत्तावादीगण को मौजा गोबरधसा, थाना–कोलेबिरा के खाता नं0–54, प्लॉट नं0–147 एवं 92, रकबा कमशः–1.00 एकड़ एवं 1.00 एकड़ भूमि पर पत्थर खनन के लिए खनन–पटट्ा दिनांक 31.03.2022 तक के लिए ही विधिवत मान्य था। खनन–पटट्ा के मान्य अवधि में ही जब्त पत्थर तोड़ कर पटट्ा स्थल पर रखा गया था। अंचल अधिकारी कोलेबिरा द्वारा गलतफहमी में एवं बिना कानूनी अधिकार के प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है, जो कि नियमसंगत नहीं हैं।

साथ ही, उत्तरवादीगण द्वारा जप्त पत्थर के मूल्य का दो– गुणा राशि सरकारी राज्य कोष में क्षतिपूर्ति के रूप में जमा कर दिया हैं। इसलिए न्यायालय से अनुरोध किया गया कि जप्त 10000 CFT पत्थर को उत्तरवादी के पक्ष में मुक्त किया जाय। यह कहा गया कि यदि उत्तरवादी के पक्ष में पत्थर को मुक्त नही किया जाता है तो उन्हें काफी आर्थिक नुकसान होगा। उनके विज्ञ अधिवक्ता ने कहा कि इसके लिये वे उत्तरवादी न्यायालय के सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है।

जिला खनन पदाधिकारी, सिमडेगा ने अपने पत्रांक–333/एम0,दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश ,सिमडेगा के आदेशानुसार 10000 CFT अवैध पत्थर खनिज से राज्य सरकार को हुए राजस्व क्षति का आकलन एवं वादी द्वारा राजस्व क्षति को जमा किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन मांग किये जाने के फलस्वरूप वादी द्वारा राजस्व नुकसान कि राशि 2,18,400/–रूपया जी0आर0 सं0–2315570756 एवं जी0आर0 सं0– 2315570261 द्वारा जमा किये जाने कि सूचना जिला खनन कार्यालय पत्रांक –92 ,दिनांक 04.02.2023 द्वारा कर दी गई हैं।

जिला खनन पदाधिकारी, सिमडेगा ने यह भी प्रतिवेदित किया है की उक्त पत्थर भण्डारण के विरूद्ध ही अधिहरण वाद उपायुक्त के न्यायालय में चल रहा है एवं चूँकि यह मामला अंचल अधिकारी, कोलेबिरा द्वारा खनन राजस्व की चोरी एवं क्षति के संबंध में दायर किया गया था तथा वादी द्वारा राजस्व नुकसान की राशि जमा कर दिया गया है, अतएव प्रासंगिक अधिहरण वाद में अग्रेत्तर कार्रवाई से पूर्व माननीय सत्र न्यायाधीश ,सिमडेगा को सूचित करने के उपरान्त एवं प्राप्त निदेश /न्यायादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात/विज्ञ अधिवक्ता के बहस/ एवं जिला खनन पदाधिकारी, सिमडेगा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। इस कम में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, द्वारा डब्लू0पी0सी0 नं0 6788/2023 मेसर्स आदित्य इन्टरप्राइजेजस एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश में SUMMARISED CONCLUSION का अवलोकन

किया गया है जो निम्न– रूपेण है :–

1. Jharkhand Mineral (prevention of Illegal Mining Trasportation and Storage);Rules, 2017 is a delegated legislation and cannot travel beyond the power delegated by the parent Act,I.e. the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act,1957.
2. The phrase "Court taking cognizance" is the Special Court constituted in terms of Section 30-B of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act and where there is no such Special Court constituted, it will be the Judicial Magistrate First Class.
3. It is only the "Court taking cognizance", who is the "confiscating authority" under the Act and the Rules. The Deputy Commissioner of each District has got no power to intiate and decide a confiscation proceeding, as the same is in conflict with the parent Act, thus,Rule 11(V) is ultra vires to the parent Act.
4. "Confiscation" under the Mines and Minerals(Development & Regulation) Act and the Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Trasportation and Storage) Rules, 2017 are same and cannot be differentiated. "Confiscation" prescribed under the Rules cannot be read as independent power to any authority to confiscate.
5. Rule 11(1) only nominates and identifies the authority authorised or referred under Section 21(3) of the Mines and Minerals(Development & Regulation) Act.
6. The authority to seize the minerals and other materials, tools including vehicles, is the authority prescribed under Rule 11 (1) of Jharkhand Mineral (Prevention Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules,2017 इस आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका स्वीकृत कर ली गई है। समरूप अन्य कई वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सदृश आदेश पारित किया गया है।

उपयुर्क्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं यह निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि इस वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित करना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदेशों के letter & spirit के विरूद्ध होगा । तदनुसार इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उत्तरवादी यदि चाहें तो जप्त पत्थर की विमुक्ति हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त –सह–जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

31-XII-24

उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी सिमडेगा।

Digitally signed by Kanchan Singh
Date: 2025.08.20 15:55:52 +05:30
Location: 10.93.63.62

Scanned with OKEN Scanner